VISION IAS

www.visionias.in

SUBJECT:		Test Code:	769
Name of Candidate	P. Yadave		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	23965
Center	MN	Date	

INDEX TABLE

Q. No.	Page No.	Maximum Marks	Marks Obtained

Total Marks Obtained:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
4. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
6. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

1/8-B, 2nd Floor, Building- Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Section-A

"सात अरब सपने। एक ग्रह। सावधानी से उपयोग कीजिए।"

एक परिवार के सभी सदस्य बच्चे और बड़े सभी की आंखों के चारों ओर गहरे काले धब्बे, शरीर पर झुर्रियां उनकी वास्तविक उम्र से कहीं ज्यादा उम्र की निशानी, किचन गार्डन में लगे मुरझाये छोटे 2 पौधे, शीशे की दीवारों के उस पार उठते धुएं के अंबार के बीच ब्रेकफास्ट की टेबल पर तनाव छाया हुआ है। आखिर क्यों? उनके पास तो सब सुविधाएं - उन्नत मॉडल के गैजेट्स, सर्विस ऑर्डर के लिए सेंसर स्क्रीन व सैकेंडों में डिलिवरी देने वाले ड्रोन हैं, लेकिन फिर भी तनाव व चिंता — क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने के लिए 'ऑक्सीजन किट' चाहिए, अन्यथा वो घर से बाहर एक कदम भी नहीं रख पाएंगे। खेलना, घूमना तो दूर की बात है।

उपरोक्त दृश्य वाला एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहा, को

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

देखने पर यह कांप उठी, एक पल के लिए मानो अस्तित्व शून्य में चला गया। भविष्य के एकमात्र विचार ने वर्तमान के अस्तित्व का झकझोर दिया। और यह कोई शताब्दियों बाद की काल्पनिक सोच नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों के तथ्यपरक अध्ययन जनित 2030 का दृश्य है।

जिस वसुंधरा को लेकर सात अरब की आबादी न जाने कितने स्वर्णिम सपने संजोये बैठी है, वो अगर बाहर निकलने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन किट चाहिए, तो उन सपनों को, तो महज काल्पनिक आत्मानुभूति कहना ही यथोचित प्रतीत होता है।

वर्ष 2015 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम "सात अरब सपने। एक ग्रह। सावधानी से उपयोग कीजिए।" एक बहुत ही सशक्त व प्रबल चेतावनी है कि यदि आज हम अपनी इस पृथ्वी को लेकर संवेदनशील नहीं हुए और संगठित प्रयास नहीं किए तो एक निकट भविष्य में यह पृथ्वी भी आपके प्रति असंवेदनशील हो जाएगी और आपके ऐशो आराम तो दूर दैनिक आवश्यकताओं तक को मयस्सर कर देगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ब्रह्माण्ड के एक मात्र जीवन योग्य ग्रह पर प्रकृति बहुत मेहरबान रही है। विविध मानवीय नस्लों, प्राकृतिक भू दृश्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, एक संतोषजनक जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधनों की उपस्थिति ने इस धरा को पल्लवित - पुष्पित किया है।

सृष्टि के आदिकाल में मानव व प्रकृति का पारस्परिक हितकारी संबंध रहा, जहां पृथ्वी ने उसका पालन पोषण किया, वहीं मानव ने उसका संरक्षण और सम्मान किया। यही साम्यावस्था की स्थिति लंबे समय तक बरकरार रही।

लेकिन धीरे धीरे मानव आत्मकेंद्रित होकर स्वार्थी बनता गया और प्रकृति का उपयोग केवल अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए करने लगा और यहीं से शुरुआत होती है दोनों के संबंधों में दूरियों की। जहां प्राकृतिक धर्म प्रकृति के उपादानों की पूजा करता था, वहां मानव ने इन्हें अपने स्वार्थवश रूपांतरित करना शुरु कर दिया।

सर्वप्रथम आराम जिसने इस सम्भावना को चुनौती थी - वो थी जनसंख्या वृद्धि। बढ़ती मानवीय जनसंख्या ने इस ग्रह के संभावनों पर बोझ डाला। माल्थस जैसे जनसंख्याविदों ने तो इस वृद्धि को 'जनसंख्या जाल' तक कह डाला क्योंकि जहां आबादी की वृद्धि ज्यामितीय दर 1, 2, 4, 8, 16 ---- से होती है वहीं खाद्यान्न वृद्धि अंकगणितीय दर से 1, 2, 3, 4, ----। इससे तो संभावनों की समाप्ति निश्चित है। यदि मानव इस वृद्धि को नियंत्रित नहीं करता है, तो फिर नैसर्गिक प्रतिबंध (बाढ़, अकाल, भूकंप इत्यादि) ही एकमात्र प्राकृतिक उपाय है।

जनसंख्या वृद्धि को तो, कुछ सख्त प्रयासों से कम किया जा सकता है लेकिन मनुष्य की भौतिकतावादी व उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को कौन नियंत्रित करेगा। जहां पहले रोटी, कपड़ा, मकान तक आवश्यकताएं सीमित थी, आज वो बड़ी-बड़ी इमारतों, लक्जरी गाड़ियों, अच्छे टी.वी. फ्रिज से लेकर हाई एंड गैजेट्स तक पहुंच गयी है। अपने को सबसे श्रेष्ठ

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

दिखाने की होड़ ने तो संसाधनों की न्यूनतम सीमा तक को नकार दिया है। मनुष्य को लालची और सुविधाभोगी बना दिया है। उसे तनिक भी फिक्र नहीं है कि उसकी लालसाएं अनंत हो सकती हैं लेकिन पृथ्वी के संसाधनों की सीमाएं हैं और ये केवल आवश्यकताएं पूरी कर सकती हैं, लालच नहीं (गांधी जी)।

इन्हीं इच्छाओं ने वनों की कीमत पर शहर बसाले, कृषि व जैवविविधता की कीमत पर उद्योग लगाए, स्वच्छ वायु व जल की जगह ए.सी.-चैम्बर का कृत्रिम वातावरण और बोतलबंद मिनरल वाटर को बढ़ाया। तो भला कितने दिनों तक प्रकृति को नकार कर मानव इस कृत्रिम आवरण को रख पाएगा?

इन शहरों और उद्योगों ने वायु में अवांछित गैसों (विशेषकर जहरीली) व विलंबित कणों की मात्रा को जीवनोपयोगी स्तर से कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। हाल ही में दिल्ली जैसे शहर में दिवाली के

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

पटाखों की शानो शौकत व बुद्धि की अस्थायी विधि (पुआल जलाना) ने वातावरण में स्मोग लेना तक दूभर कर दिया। लगता था जिस 2030 की हम कल्पना कर रहे हैं वो 2016 में ही आ गया। इसने भौगोलिक सीमाओं को लांघकर लाहौर तक अपना प्रभाव दिखाया। यही स्थिति कई बार चीन में हुए हैं। सन्देश स्पष्ट है गलती कोई भी करे भुगतेंगे सब धरा के लोग जन।

यही हाल जल का है भूजलस्तर आर्सेनिक, फ्लोराइड स्तर तक चला गया है तो धरातलीय में मानव अपशिष्ट, सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट ने नदी, समुद्र तक के पारितंत्र पर खतरा ला दिया है। इतना ही नहीं; मानव की खाद्य श्रृंखला तक को विषाक्त कर दिया है यथा, मछलियों में 'पारा' की उपस्थिति।

प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन ने पर्यावरण को तो प्रदूषित किया ही है (यथा ओजोन क्षरण, मृदा अपरदन, विकिरण, धूम कोहरा इत्यादि) साथ ही इसने सामाजिक वातावरण को भी प्रदूषित कर दिया है। संसाधनों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की सीमित उपलब्धता और मानव की अनंत आकांक्षा ने तेल युद्ध, नदी जल बंटवारा, सामुद्रिक संसाधनों पर कब्जा यहां तक की अंतरिक्ष और वायु तक को लेकर विवाद और संघर्ष हो रहा है। आइंस्टीन ने तो बहुत पहले की सटीक टिप्पणी की थी - "यदि तृतीय विश्व युद्ध होगा, तो वह जल को लेकर होगा।"

उपरोक्त तमाम समस्याएं तो फिर भी जैसे-तैसे मानव छिपा सकता है - तकनीक बदलकर, कृत्रिम उत्पादन इत्यादि से। लेकिन एक यक्ष समस्या जो अदृश्य है तथा मानव मात्र के साथ समस्त पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को चुनौती है, उससे कौन छिपेगा, ~~यह~~ है - जलवायु परिवर्तन व वैश्विक ऊष्मन।

जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक परिघटना रही है लेकिन वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप ने इसकी भयानकता व आसन्न खतरों को बढ़ा दिया है। हरित गृह गैसों यथा कार्बन डाई ऑक्साइड, मीथेन इत्यादि की निरन्तर बढ़ती उपस्थिति चिंतनीय है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जलवायु परिवर्तन ने सामान्य रूप से प्राकृतिक परिघटनाओं को परिवर्तित किया है और कर रहा है — वर्षा प्रतिरूप बदलना, असामान्य ओलावृष्टि, चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति, पिघलते ग्लेशियरों से बाढ़ और सामुद्रिक जल स्तर वृद्धि, सूखा की आवृत्ति बढ़ना इत्यादि।

इसने समग्रता से मानवीय जीवन पर प्रभाव दिखाना शुरू किया है। जलवायु शरणार्थी, द्वीपीय राष्ट्रों के अस्तित्व पर खतरा, देशों की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव और मानव पर मनोवैज्ञानिक व स्वास्थ्य जनक दुष्प्रभाव के साथ-साथ पारितंत्र व जैव विविधता पर भी संकट है।

उपरोक्त समग्र आलाप एक ही ओर संकेत करते हैं कि निसन्देह कुछ घटनाएं प्राकृतिक हो सकती हैं और स्वाभाविक भी हैं लेकिन सर्वाधिक योगदान रहा है — 'असतत विकास' की विधियां अपनाना। आर्थिक के लाभ के लिए पर्यावरण की बलि चढ़ा दी है और आज हम बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। यदि अभी भी नहीं समझते

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

और तो हमारी लालच हमें घर से धरती देखकर बाहर कर देगी और ना हम अपने सपने पूरा कर पाएंगे और ना ही आने वाली पीढ़ी के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा पाएंगे।

वक्त आ गया है कि इस लाइलाज खतरा को बचाने के लिए व्यक्तिगत स्तर से लेकर, समाज, राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक हर जगह संगठित, एकीकृत व सतत् रणनीति बनायें और इसे कानूनी बाध्यता से बढ़कर, नैतिक जिम्मेवारी मानते हुए पूरा करें।

सर्वप्रथम, मानव को अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम करना होगा तथा पर्यावरण हितैषी बनाना होगा - न्यूनतम गाड़ियाँ, सीमित इलेक्ट्रॉनिक्स, सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल इत्यादि। अपनी जनसंख्या को भी सीमित करना होगा ताकि अनावश्यक दबाव न बढ़े।

शहरों और गांवों को सतत् विकास व बेहतर जीवनोपयोगी बनाने हेतु 'स्मार्ट' बनाने अर्थात् न्यूनतम लागत पर अधिकतम परिणाम' के दृष्टिकोण को अपनाना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

होगा। जैसा कि हाल में भारत सरकार की योजना है।

संसाधनों का सतत दोहन हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व सतत प्रभाव आकलन तकनीकों को प्रभावी बनाकर इन दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। साथ ही इन संसाधनों के इस्तेमाल घटाना जो नवीकरणीय हैं - यथा पवन, सौर ऊर्जा, जल व भूतापीय। हाल ही में देशों द्वारा अनेक निर्धारित लक्ष्यों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखाई है। यथा USA 2025 तक अपने 2005 के स्तर से 23-26 % तक उत्सर्जन कमी लाने हेतु नवीकरणीय संसाधन अपनाएगा।

वनीकरण को बढ़ाना होगा। एक पेड़ काटने पर कम से कम 5 पेड़ लगाने की नीति अपनाना। चिपको आंदोलन की तरह सामाजिक आंदोलन। रियो सम्मेलन में भी वनीकरण बढ़ाने की बात वैश्विक स्तर पर स्वीकारी गयी है तथा REDD+ जैसे सक्रिय कार्यक्रम चल रहे हैं। भारत सरकार ने भी हाल ही में 'वनीकरण क्षतिपूर्ति कोष अधिनियम' पारित कर सक्रियता दिखाई है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण हेतु सेन्डाई सम्मेलन में संकल्प लिया तो पेरिस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की जंग से लड़ने हेतु एक एकजुट नज़र आए। राष्ट्रों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अभिनिर्धारित अभीष्ट योगदान लक्ष्यों के माध्यम से इस सदी तक पृथ्वी के तापमान को 2°C वृद्धि तक सीमित रखना है। कार्बन क्रेडिट, प्रदूषणकर्ता भुगतान, जैसे उपाय भी काफी प्रभावी हो सकते हैं।

इतना ही नहीं, सतत विकास वर्तमान व भावी पीढ़ी के लिए सतत कृषि (आर्गेनिक कृषि), सतत उद्योग (कार्बन फुटप्रिंट कम) व प्राकृतिक संसाधनों के सतत दोहन को बढ़ाएगा। इसी दिशा में वर्ष 2015 में 2030 तक लिए 'सतत विकास लक्ष्यों' (SDGs) के तहत जलवायु पर्यावरण हितैषी व वहनीय क्रियाओं को अपनाने पर सहमति बनी है।

साथ ही तकनीकी का अनुप्रयोग भी सतत विकास में अहम योगदान दे सकता है यथा; कार्बन कैप्चर तकनीक, जल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

शुद्धिकरण, मौसम पूर्वानुमान, उपग्रह आधारित सही आंकड़ा-विश्लेषण इत्यादि। कम लागत पर अधिक परिणाम को बनाना।

इस पृथ्वी के उचित उपयोग को अपनाने के लिए हमें आर्थिक लागत को भी वहनीय बनाना है। ग्रीन एकाउंटिंग, ग्रीन GDP, ग्रीन कॉरिडोर इत्यादि इसी बेहतर दिशा में है। इतना ही नहीं हमें विकास के आंकलन में धन-दौलत नहीं बल्कि 'खुशहाली संकेतक' का आंकलन करना है। कार्बन टैक्स, पर्यावरण टैक्स इत्यादि सही कदम हैं।

अंतिम, लेकिन अनंतिम नहीं, कदम है- नैतिक उत्तरदायित्व समझना। प्रत्येक व्यक्ति से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों को इस पृथ्वी के प्रति, अपनी भावी संतति के लिए, जीव जंतु और प्राणि मात्र के लिए अपना नैतिक उत्तरदायित्व समझना होगा। तभी हम एकजुट होकर सपने न केवल देखेंगे बल्कि पूरा करेंगे। जलवायु शरणार्थी एक राष्ट्र के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए चिंता ही

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हैं। इतना ही नहीं, प्राकृतिक न्याय मनुष्य को केवल अपने हित के लिए जीवजंतुओं के जीवन को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देती है। विश्व स्तर पर एक नैतिक फ्रेमवर्क पर तैयारी जारी है जो इसके लिए मार्ग-निर्देशक होगा।

एक बार फिर से संगठित होकर इस 'पृथ्वी' को 'माँ' की तरह उपयोग करें। उसकी ममता व आलिंगन की गर्माहट की निरन्तर प्राप्ति के लिए संततिजन्य कर्तव्यों व नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किसी दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से पूरा करें। निश्चित ही 'मां पृथ्वी' अपनी संतति के सपनों को साकार करेगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Section 'B'

"हम गलती करने वाले को तब तक सजा नहीं देते हैं जब तक कि वह ढीठ और कमजोर नहीं है।"

प्राकृतिक न्याय कहता है – "सजा उसी को और उतनी ही मात्रा में मिलेगी जिसने गलती की है और जिस मात्रा में की है।" लेकिन डार्विन महोदय ने तो कहा कि प्राकृतिक चयन का नियम "Survival of the fittest" है, प्रकृति "Might is Right" के नियम पर चलती है। इतना ही नहीं, भारतीय मनीषियों ने भी कहा है- "बलबीरां सब मित्रां, कमजोरां कोई ना गोसाई।" (अर्थात् बलवान के सब मित्र होते हैं और कमजोर का कोई हितैषी/भगवान नहीं है)

उपरोक्त दोनों दृश्य तो विरोधाभासी तस्वीर पेश करते हैं। जहां पहला दृश्य यदि सर्वत्र विद्यमान होता तो समाज और विश्व में हर जगह समानता होती, कमजोर व ताकतवर का भेद ही नहीं होता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लेकिन इसका हश्र तो दिखाता है कि हमेशा ताकतवर का ही राज रहा है। वही संचालनकर्ता और नियम निर्धारक रहा है। यदि ऐसा होता तो लगता है आज तक कमजोरों और दोषों का तो अस्तित्व ही मिट गया होता!

लेकिन यह भी सच्चाई है कि ऐतिहासिक काल से लेकर आज तक उपरोक्त दोनों स्थितियाँ रही हैं। कौन, कहाँ तक सच्चाई या दोषी है? यही हमारे विमर्श का विषय है।

इतिहास गवाह है कि अधिकांशतः ऐसा होता आया है कि गलती करने पर ताकतवर बच जाते हैं और सजा निर्बलों व कमजोरों को मिलती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने पूर्व पहले हम दोनों का अर्थ समझें -

'ताकतवर' केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि सामाजिक प्रस्थिति, आर्थिक संसाधन, सैन्य ताकत, मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता के भाव इत्यादि से संदर्भित है। वहीं 'कमजोर और दोषी' केवल निर्बल होना नहीं है बल्कि निम्न सामाजिक प्रस्थिति, गरीबी, सुभेद्य वर्ग - महिला, वृद्ध, बच्चा, अल्प-

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संबंध, जनजाति इत्यादि से संबंधित है।

संदर्भित विषय को अलग प्राचीन इतिहास में भी स्पष्टतः देखी जा सकती है। एक ही समान अपराध के लिए ब्राह्मण को नगण्य या बिल्कुल नहीं सजा मिलती थी, वहीं शूद्र को अधिकतम सजा दी जाती थी और इसीलिए की वो शूद्र था। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य प्राचीन सभ्यताओं में होता आया है। (रोमन, ग्रीक इत्यादि)

लेकिन यह तो उस दौर की बात है जब स्थापित कानून और विधानों का अभाव था। राजा/शासक की व्यक्तिगत क्रिया ही कानून था लेकिन विडम्बना तो आज की है। जब प्रत्येक देश में आधुनिक कानून है; लिखित संविधान (अधिकांश देशों में) और प्रत्येक गतिविधि का मानव केन्द्रित है चाहे वजह हर मंच पर मानवाधिकार व मानवीय गरिमा का गुणगान किया जाता है। 'कानून का शासन', 'विधि के समक्ष समता' इत्यादि को अपनाया गया है लेकिन जब मामला कमजोर को व्यवहार में उचित व्यवहार करने का आता है तो ज्यादातर ताकतवर को वरीयता मिलती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आज न्यायपालिका के समक्ष लंबित मामलों में लगभग 70% उन अंडर ट्रायल मामलों के है जिनमें दोषी कोई होता गरीब या कमजोर व्यक्ति है जो धनाभाव या अपनी पहुंच न होने के कारण दोषी-निर्दोषी दोनों ही स्थिति में जेल में सड़ रहा है। इतना ही नहीं, रसूखदार और बड़े लोगों के मामले तो तीव्रता से सुने भी जाते हैं। अधिकांश मामलों में ताकतवर लोग अच्छे वकीलों और अपने धनबल पर निकल जाते हैं।

यही हाल विधान निर्मात्राओं का है वहां पर भी ताकतवरों का बोलबाला और वही लोग चुने जाते हैं जिनके पास राजनीतिक पहचान या धन बल, बाहुबल हो। वही विधान अपने वर्गों के हितों में बनाते व लागू करते हैं। अपने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि भारत में लंबित ऐसे मामलों जिनमें दोषी गरीब / कमजोर हैं। उन्हें उचित सहायता के लिए न्याय की व्यवस्था हेतु करें लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

इतना ही नहीं, सामाजिक स्तर भी किसी संघर्ष में सजा कमजोरों, दलितों और महिलाओं को ही मिलती है जब अपने लोगों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कि किसी अमीर / ताकतवर का घर जलाया गया हो लेकिन, मिर्चपुर, मेरठ, अहमदाबाद इत्यादि के मामले देख हैं जहां दलितों की झोपड़ियां जला दी गयी। तीन बार तलाक, व्यभिचारी नहीं होना, पतिव्रता होना, मंदिरों में प्रवेश नहीं, (हाल ही में चर्चित) घर का दायित्व संभालना इत्यादि धारणाएं केवल महिलाओं पर ही हैं, पुरुषों पर नहीं। यदि विवाह विच्छेद होता है या किसी से बलात्कार होता है तो समाज सर्वप्रथम महिला को ही दोषी मानता है, उसे ही शंकित करता है। 'ऑनर किलिंग' से बड़ा क्रूर उदाहरण नहीं हो सकता है।

यही सामाजिक व कानूनी अभिवृत्ति इसके अलावा, अल्पसंख्यकों के प्रति पुलिस व सामाजिक ठेकेदारों की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार अधिकांश अपराधों में दोषी अल्पसंख्यक होते हैं। ताकतवर तो कभी पकड़े ही नहीं जाते हैं।

आर्थिक अपराधों और बैंकों के बढ़ते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के लिए भी सरकारों की कल्याणकारी योजना, गरीब किसान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

व छोटे कारोबारी ही होती है। 'विजय माल्या' जैसे बड़े और ताकतवर लोग तो अक्सर आजाद रहे हैं।

भ्रष्टाचार व बड़े-2 घोटालों के कई ताकतवर राजनेता और अधिकारी बच जाते हैं। केस सालों दर साल चलता है और कहीं मैं सबूतों के अभाव में आजाद हो जाते हैं कानून उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। उदाहरण के लिए 'ललित मोदी' मामला कुछ ही वर्षों से हल्का है।

यही हाल सुरक्षा के नाम पर दोषियों को मिलने वाली सजा का है। आफ्सपा कानून के तहत कितनी भी गैर कानूनी हत्याएं होती हैं उनमें अधिकांश निर्दोष आमजन होते हैं, उनको कभी न्याय मिले, यह मुश्किल है। नक्सलवादी गतिविधियों में भी सजा निर्दोष व बहकावे में आए लोगों को मिलती है जबकि असली दोषी नक्सली नेता व विचारक तो मजे से अपनी विचारधारा को बढ़ा रहे हैं।

यही हाल अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का है। तथाकथित कट्टरवादी कई लोगों ने न जाने कितने मासूम लोगों को अपने जाल में फांसा है बम फोड़ने पर जहां

आमजनता जो कमजोर व गरीब है, उसी को सजा मिली जो अपराध उसने किया भी नहीं। लेकिन जिस व्यवस्था से शिकायत है, वो आज भी सुरक्षित है इतना ही नहीं, आत्मघाती आतंकी जो किसी मजबूरी वश खेला कर जाता है, को तो सजा मिलती है क्योंकि कई बार वो केवल और लाचार होता है और ऐसा करता है भला किसे अपनी जान प्यारी नहीं है

ऐसी ही स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलती है। तमाम वैश्विक संस्थानों पर (IMF, WB, WTO etc) विकसित व ताकतवर लोगों का दबदबा है। उनकी गलतियां हमेशा नजरअंदाज कर दी जाती हैं लेकिन गरीब राष्ट्रों को दण्डित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राष्ट्र में अश्वेत पर हमले आज भी होते हैं लेकिन मानवाधिकार के नाम पर उसने लीबिया जैसे देशों को तबाह कर दिया।

आज भी विश्व के तमाम ताकतवर राष्ट्रों के पास घातक विनाश के अस्त्र व परमाणु हथियार हैं फिर भी इन्हीं के नाम पर इराक को बर्बाद किया तो ईरान की अर्थव्यवस्था को कमर तोड़ दी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सीरिया, जैसे देशों में तथाकथित विकसित राष्ट्र अपने हितों को साधने का नापाक कर्म करते हैं फिर भी कोई सजा या दोषारोपक उन पर नहीं होता है 'स्वयं द्वारा सीरिया पर बमबारी' आज किसी की चिंता नहीं है।

इससे भी बढ़कर कुछेक औद्योगिक देशों की अनियंत्रित विकास धारा ने जलवायु को परिवर्तित कर दिया है और आज जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं और उनकी सजा कौन भुगत रहा है — कमजोर द्वीपीय देश (जलवायु शरणार्थी), गरीब (आपदाएं झेल रहा है), कृषक (मौसम की मार), महिलाएं, सुभेद्य वर्ग (जलवायु परिवर्तन जनित बीमारियां) इत्यादि।

इतना ही नहीं, मानव - जीव/पशु संघर्ष में भी दोषी होने के उपरांत भी सजा मानव को नहीं बल्कि पशु को ही मिलती है। करोड़ों की चोरी अमीर करते हैं लेकिन अव्यवस्था कर बढ़ाकर सजा गरीबों को दी जाती है।

उपरोक्त तमाम उदाहरण अपने आप यह सिद्ध करने में सक्षम हैं कि कमजोर कड़ियों को अक्सर प्राकृतिक न्याय व कानूनी न्याय दोनों से

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

महरूम रखा जाता है। ताकतवर लोग अक्सर उनकी (कमजोर) कीमत पर ऐशो आराम व दोषी होने पर भी बिना सजा स्वच्छंद घूमते हैं।

लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इतिहास इसका भी गवाह है कि सजा दोषियों को ही मिली है चाहे दोषी की हैसियत व ताकत कुछ भी हो। अशोक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि ने भी दोषियों को सजा दी, चाहे दोषी उनका स्वयं का बेटा ही क्यों न रहा हो (अकबर का बेटा)।

आधुनिक कानून भी दोषियों को उनके अपराध की सजा देता है। वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाना स्पष्ट उदाहरण है कि व्यक्ति कितना भी ताकतवर न हो सजा मिलेगी ही।

भारतीय उच्चतम न्यायालय ने सुब्रतो रॉय (सहारा ग्रुप) एवं राजा (2G स्पेक्ट्रम घोटाला) जैसे कई 2 रसूखदार लोगों को कड़ी सजा दी है।

इतना ही नहीं महिलाओं के प्रति अपराधों को अधिकार मानने वाले पितृसत्तात्मक व पुरुषवादी समाज को भी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सख्त सज़ा दी है। चाहे मंदिर प्रवेश की अनुमति हो या फिर निर्भया मामले के दोषियों को सज़ा। घरेलू हिंसा के तहत सख्त सज़ा के अनेकों केस स्पष्ट उदाहरण हैं। जेसिका लाल केस के दोषियों को सज़ा भी हक मिलता है।

इतना ही नहीं जनजातियों के अधिकारों के लिए पास्को जैसे बड़े प्रोजेक्ट को रोककर निवासियों को वंचित होने से बचाया रहा है।

आरुषि व फेक एनकाउंटर के दोषी भी कानूनी कार्रवाई के दायरे से बच नहीं पाएंगे और गलती पाने पर सख्त सज़ा मिलेगी चाहे वो कितना भी बड़ा पुलिस अधिकारी हो या फिर सेना कमांडर।

वैश्विक मंचों पर सुधार की मांग ने विकसित राष्ट्रों की मनमानी पर रोक लगाने का प्रयास किया है। WTO द्वारा गलत कार्रवाइयों पर भारी जुर्माना लगाना व नियंत्रण रखना। यथा; USA की कंपनियों पर।

जलवायु परिवर्तन का पेरिस सम्मेलन एक मिसाल है कि जिन्होंने गलती की वो दंड सज़ा पाएंगे ही। किन्तु व तकनीक हस्तांतरण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जिम्मेवारी विकसित राष्ट्रों पर लादना इसका स्पष्ट उदाहरण है। साझा किंतु विभेदीकृत उत्तरदायित्व उनकी गलती की सजा है। 'मार्शल आइलैंड्स' जैसे छोटे से देश ने अपनी कष्टकर पर्यावरणीय दशाओं के लिए कुछ देशों पर मुकदमा करना एक सकारात्मक संकेत है।

उपरोक्त संकेत सकारात्मक है। अभी सदी में हम समानता की ओर बढ़ रहे हैं। कायदे-कानून अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। सजा केवल कानूनी नहीं होती है बल्कि सामाजिक व व्यक्तिगत पाश्चाताप भी बहुत बड़ी सजा है। समाज द्वारा भी अनेक प्रथाओं को त्यागना व गलती करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करना भी बहुत बड़ा कदम है। ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ ~~मामले में लोगों ने भी सहयोग किया।~~

वक्ता की मांग भी है कि सजा गलती करने वाले को ही मिले अन्यथा सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, पीड़ित व विरोध हक के लिए खड़े होंगे (महाराष्ट्र में दलित घटना) और संघर्ष बढ़ेगा। विकास अवरुद्ध होने के

के साथ-साथ मानवता का विकास अवरुद्ध होगा। ऐसे स्थिर व जड़ समाज में मानवीय गरिमा व प्राकृतिक न्याय जैसे तमाम आदर्श केवल आदर्श रह जायेंगे।

इसलिए आवश्यकता है- वर्तमान कानूनी व्यवस्था को सशक्त बनाया जाए। 'न्याय' सबका हक है और निष्पक्षता से सबको मिलना चाहिए। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी सभी समान हैं, स्वेच्छाचारिता व ताकत का कोई स्थान नहीं है। जन भागीदारी, स्वतंत्र मीडिया, सोशल मीडिया, सूचना अधिकार, जनहित याचिका, वनाधिकार, सतत् विकास, जलवायु न्याय, वैश्विक संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण, समावेशिता इत्यादि तमाम ऐसे उपाय हैं जो स्थिति को निष्पक्ष व सही बनायेंगे।

अहिंसात्मक परिवर्तन भी एक सर्वोत्तम हथियार है जहां बलवानों को अपने अहम् को त्यागकर अपने साथी सहयोगियों को सम्मान व बराबर मानना होगा वहीं कमजोर व छोटों को भी आत्मविश्वास के साथ आगे आकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी

Call us : 9650617807, 9968029039
Blog : www.visionias.wordpress.com

Visit us : www.visionias.in
Email : ajay.visionias@gmail.com

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

व अपने निर्दोष कर्मों की सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। तभी एक समरस समाज का पालना, जहां शांति व सद्भाव होगा व जीवन की उत्तरजीविता बढ़ेगी।

ईश्वर प्रदत्त समानता सभी को मिलेगी और वह है - मानव केवल 'मानव' है, कोई ताकतवर व कमजोर नहीं। इसे स्थापित करने में समस्त कानूनी व नैतिक व्यवस्थाएं तैयार हैं।